

मुकदमों का विवरण

पी. सारंगपाणि (मृत) टीएचआर। एल. आर. पाका सरोजा बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य (2011 की आपराधिक अपील संख्या 2173) 21 सितंबर, 2023

[बेला एम. त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को अपीलार्थी-अभियुक्त नं. की दोषसिद्धि को स्वीकार करते हुए न्यायसंगत ठहराया गया था। 1 यू/एस। 7 और एस। 13(1)((घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2)।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-आरोप कि अपीलार्थी-अभियुक्त नं. 1 वास्तव में शिकायतकर्ता से अन्य कानूनी पारिश्रमिक के रूप में **Rs.1500** की राशि की मांग की थी और उसे स्वीकार किया था-विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त नं. 1 ऑफ एनसेस यू/एस के लिए 7 और एस। 13(1)(घ) 1988 के अधिनियम की धारा 13 (2)-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को स्वीकार किया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा संबंधित गवाहों की जांच करके, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया था, ट्रैप से पहले और ट्रैप के बाद की कार्यवाही को विधिवत साबित किया गया था-नीचे दी गई दोनों अदालतों ने यह तथ्य दर्ज किया है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी द्वारा दागी मुद्रा की सचेत स्वीकृति और अपीलार्थी से दागी मुद्रा की वसूली को भी उचित संदेह से परे साबित कर दिया था-इसलिए, वैधानिक अनुमान यू/एस को दूर करने के लिए भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित हो गया था। 20 उक्त अधिनियम का, और यह साबित करें कि इसे अपने सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे अपीलार्थी दूर करने में विफल रहा था-अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण शिकायतकर्ता के दर्ज किए गए बयान से मेल नहीं खाता था। 164 उच्च न्यायालय ने यह भी अभिलिखित किया था कि अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव कि उसके द्वारा दागी मुद्रा की स्वीकृति सोसायटी के लेखा परीक्षा शुल्क के प्रति थी, उसके द्वारा उतना साबित नहीं किया गया था जितना कि रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि राशि 434 थी।

433

/

शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को भुगतान सोसायटी के कोष से बाहर था-दोनों अदालतों ने सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना की है और अपीलार्थी को अपराध के लिए दोषी पाया है।⁷ और एस।13(1)(घ) पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2)-नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए सुविचारित निर्णयों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।[पैरा 12 और 13]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1988**-शिकायतकर्ता की मृत्यु या मुकदमे के समय शिकायतकर्ता की अनुपलब्धता-परिणाम:

आयोजित किया गया:यह विधि का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु या मुकदमे के समय शिकायतकर्ता की अनुपलब्धता को अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है, न ही इसे आरोपी को बरी करने का आधार कहा जा सकता है-शिकायतकर्ता की मृत्यु या अनुपलब्धता के मामले में अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व करके शिकायत की सामग्री और मुद्दे में अन्य तथ्यों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए हमेशा खुला रहता है।[पैरा 9]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1988**-यू/एस के तहत धारणा को बढ़ाना।

20:

आयोजित किया गया:एक बार जब अनुचित लाभ यानी कानूनी पारिश्रमिक के अलावा कोई भी अनुग्रह राशि अभियुक्त द्वारा स्वीकार की गई साबित हो जाती है, तो न्यायालय यू/एस के तहत धारणा को बढ़ाने का हकदार होता है।²⁰ कि उसने अनुचित लाभ को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया।⁷ सार्वजनिक कर्तव्य का अनुचित या बेईमानी से पालन करने के लिए-इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है।[पैरा 11]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

नीरज दत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (2023) 4 एस. सी. सी.

731 - पीछा किया।

बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एससीसी 55:[2014] 4

एस. सी. आर. 554-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2011 की आपराधिक अपील No.2173।

2005 के सी. आर. एल. ए. No.54 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.03.2011 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

डी. रामकृष्ण रेड्डी, ऋतिक मनचंदा, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

श्रीहर्ष पीचारा, राजीव कुमार चौधरी, दुव्वुरी सुब्रमण्य भानू, सुश्री पल्लवी, सुश्री कृति सिन्हा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. मूल अपीलार्थी पी. सारंगपानी, लक्ष्मैया के पुत्र (अभियुक्त संख्या 1) की वर्तमान अपील लंबित रहने तक मृत्यु हो जाने के बाद, उनकी पत्नी पाका सरोजा को 31 अगस्त, 2023 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपील के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।

2. हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2005 की आपराधिक अपील में पारित 21 मार्च, 2011 के निर्णय और आदेश के खिलाफ तत्काल अपील का निर्देश दिया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त नं.1 और 1994 के सी. सी. No.08 में एस. पी. ई. और ए. सी. बी. मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश-सह-चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश सिटी सिविल न्यायालय हैदराबाद (जिसे इसके बाद ट्रायल न्यायालय के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 06.01.2005 के निर्णय और आदेश को स्वीकार किया।विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी आरोपी नं.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, पी. सी. अधिनियम) की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के अंतर्गत अपराध के लिए उसे एक साल के लिए कारावास और चूक में 1,000/- रुपये का जुर्माना, धारा 7 के अंतर्गत अपराध के लिए तीन महीने के लिए सरल कारावास और दो साल के लिए कठोर कारावास और चूक में 2,000/- रुपये का जुर्माना, पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के अंतर्गत अपराध के लिए छह महीने के लिए सरल कारावास की सजा सुनाई गई।

3. कथित अपराधों के लिए आरोप पत्र जांच अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक श्री पी. एल. राजू, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, वारंगल रेंज, वारंगल द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त नं.1

/

[2023] 12 एस सी आर।

P.Sarangapani और एक अन्य आरोपी P.Vasudev मल्लैया का बेटा।कथित अभियुक्त P.Vasudev की सुनवाई लंबित रहने तक अवधि समाप्त हो जाने के कारण, अकेले अपीलार्थी

अभियुक्त पर विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था। वास्तव में शिकायतकर्ता श्री इमादी लक्ष्मैया की भी सुनवाई शुरू होने से पहले मृत्यु हो गई थी और इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी थी।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता ने श्री सारंगपाणि पर उप-पंजीयक, सहकारी समितियों के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने लिए और आरोपी नं.2 P.Vasudev, संभागीय सहकारी खम्मम के कार्यालय में उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, शिकायतकर्ता को सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति देने में आधिकारिक पक्ष दिखाने के उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में, और इस तरह दोनों अभियुक्तों ने पी. सी. अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के अंतर्गत अपराध किया था।

5. अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने आरसी No.1496/92-C की सामग्री को साबित करने के लिए पीडब्लू-1 श्री दाना पुल्लैया से पूछताछ की थी। पीडब्लू-2 श्री एम. लक्ष्मी नरसू, कृषि अधिकारी के रूप में काम करने वाले मध्यस्थों (पंच गवाह) में से एक, संयुक्त निदेशक कृषि खम्मम के कार्यालय में, ट्रैप से पहले और ट्रैप के बाद की कार्यवाही को साबित करने के लिए जाँच की गई थी। पीडब्लू-3 श्री के. एल. एन. कृष्ण कुमार से अभियुक्त से संबंधित तत्कालीन कृषि सहकारी-॥ विभाग के सचिव द्वारा दिए गए प्रतिबंध आदेशों को साबित करने के लिए पूछताछ की गई थी। पीडब्लू-4 श्री बी. पुल्ला रेड्डी थे, जो लाचन्नागुडेम गाँव के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, जो पिछले उपाध्यक्ष बी. पुल्ला रेड्डी के निलंबित होने पर सोसायटी के उपाध्यक्ष बने थे। पीडब्लू-5 ए. सी. बी. के पुलिस निरीक्षक श्री वी. वेंगलैया थे, जो छापा मारने वाले दल के सदस्य थे। और अंत में पी. डब्ल्यू.-6 श्री पी. एल. राजू, तत्कालीन डी. एस. पी. वारंगल रेंज, से पूछताछ की गई क्योंकि वह अधिकारी और जांच अधिकारी रखने वाला जाल था। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे।

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बंद होने पर, अपीलार्थी-अभियुक्त P.Sarangapani से Cr.P.C की धारा 313 के अंतर्गत पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। उन्होंने एक लिखित बयान का भी नेतृत्व किया था जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था कि उन्होंने कभी भी 437 से किसी भी अवैध मुआवजे की मांग नहीं की और उसे स्वीकार नहीं किया।

पी. सारंगपाणि (मृत) टीएचआर। एल. आर. पाक सरोजा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 438

शिकायतकर्ता जैसा कि आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी अभियुक्त ने अपने बचाव को साबित करने के लिए खम्मम जिले के चिंताकानी मंडल के निवासी डी. डब्ल्यू.-1 श्री के. वेंकटेश्वरलू से भी पूछताछ की थी।

7. विचारण विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। तदनुसार, अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि ऊपर बताया गया है। उच्च विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में, दोषसिद्धि और सजा के उक्त निर्णय के खिलाफ, उच्च विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की फिर से सराहना की और निचली अदालत द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा को स्वीकार किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि दोनों अदालतों ने अभिलेख पर साक्ष्य की गलत सराहना करने और अपीलार्थी को कथित आरोपों का दोषी ठहराने में विधि की घोर त्रुटि की थी, हालांकि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से की गई अवैध अनुग्रह की मांग को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा था। इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखना

बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **1** के मामले में उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह था

अभियोजक द्वारा उचित संदेह से परे यह साबित करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किया था, यह जानते हुए कि यह एक रिश्त थी, और अवैध अनुग्रह की मांग के प्रमाण के अभाव में, अभियुक्त के खिलाफ धारा 20 के अंतर्गत अनुमान नहीं लगाया जा सका। तत्काल मामले में उनके अनुसार, शिकायतकर्ता की सुनवाई शुरू होने से पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी जांच नहीं की जा सकी और इसलिए रिश्त के रूप में पैसे की मांग के आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अतिरिक्त आई-क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष आई. डी. 1 की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं उसमें कहा था कि उसने सोसाइटी की लेखा परीक्षा शुल्क के लिए आरोपी को राशि का भुगतान किया था और आरोपी को सोसाइटी के पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता रेड्डी द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया था, जिन्हें आरोपी के खिलाफ शिकायत थी।

9. हमारी राय में, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा की गई किसी भी प्रस्तुति में कोई सार नहीं है। यह विधि का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु या शिकायतकर्ता की अनुपलब्धता

1 (2014) 13 एससीसी 55

/

[2023] 12 एस सी आर।

विचारण के समय को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है और न ही इसे अभियुक्त को बरी करने का आधार कहा जा सकता है। अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता की

मृत्यु या अनुपलब्धता के मामले में अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व करके शिकायत की सामग्री और मुद्दे में अन्य तथ्यों को साबित करने के लिए हमेशा खुला रहता है। हाल ही में संविधान पीठ ने

नीरज दत्ता बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) 2 का मामला आयोजित किया गया है।

वह:- “ 88.6.(च) यदि शिकायतकर्ता "शत्रुतापूर्ण" हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है या परीक्षण के दौरान अपना साक्ष्य देने के लिए अनुपलब्ध है, तो अवैध अनुग्रह की मांग को किसी अन्य गवाह को साक्ष्य देकर साबित किया जा सकता है, जो मौखिक रूप से या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा फिर से साक्ष्य दे सकता है या अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा मामले को साबित कर सकता है। मुकदमा कम नहीं होता है और न ही इसके परिणामस्वरूप आरोपी लोक सेवक को बरी करने का आदेश दिया जाता है। ”

10. तत्काल मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त ने धारा 313 के अंतर्गत अपने स्पष्टीकरण में कथित राशि की प्राप्ति को स्वीकार कर लिया था। इसलिए न्यायालय को उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्य की सराहना करने और इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या उक्त राशि कानूनी पारिश्रमिक के अलावा एक अवैध अनुग्रह राशि थी या नहीं। यह कहा नहीं जा सकता है कि यदि अभियुक्त इस साक्ष्य के आधार पर उचित और संभावित स्पष्टीकरण देता है कि उसके द्वारा धन को अवैध अनुग्रह के अलावा अन्य रूप में स्वीकार किया गया था, तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यह भी सच है कि अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के रूप में उचित संदेह से परे अपने बचाव को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, और संभावना की प्रधानता पर इसे स्थापित कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय अभियुक्त के उद्देश्य के संबंध में पी. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उठाए जाने वाले वैधानिक अनुमान से अनजान नहीं हो सकती है। धारा 20 निम्नानुसार है:- “20. अनुमान जहाँ लोक सेवक किसी अनुचित लाभ को स्वीकार करता है।—

जहां, धारा 7 या धारा 11 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में, यह साबित हो जाता है कि अपराध के आरोपी लोक सेवक ने अपने लिए या किसी अन्य के लिए स्वीकार किया है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का प्रयास किया है।

2 (2023) 4 एससीसी 731 439

पी. सारंगपाणि (मृत) टीएचआर। एल. आर. पाक सरोजा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 440

व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से कोई अनुचित लाभ, यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि उसने धारा 7 के अंतर्गत उस अनुचित लाभ को स्वीकार किया या प्राप्त किया या प्राप्त करने का प्रयास किया, या तो अपने द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित या बेईमानी से सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने या करने के लिए या, जैसा भी

मामला हो, बिना विचार के किसी अनुचित लाभ के लिए या उस विचार के लिए जिसे वह धारा 11 के अंतर्गत अपर्याप्त जानता है। "11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक बार जब अनुचित लाभ यानी कानूनी पारिश्रमिक के अलावा कोई भी सहायता, जो भी हो, अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया साबित हो जाता है, तो न्यायालय धारा 20 के अंतर्गत इस धारणा को बढ़ाने का हकदार है कि उसने अनुचित रूप से या बेईमानी से सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने या करने के लिए धारा 7 के अंतर्गत अनुचित लाभ को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है। नीरज दत्ता (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ ने अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान के मुद्दे पर भी विचार किया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:-

“ 88.7.(छ) जहां तक अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण पर, धारा 20 न्यायालय को यह अनुमान लगाने के लिए अनिवार्य करती है कि अवैध अनुग्रह राशि उक्त धारा में उल्लिखित उद्देश्य या पुरस्कार के उद्देश्य के लिए थी। उक्त अनुमान को न्यायालय द्वारा विधि की अनुमान या विधि में एक अनुमान के रूप में उठाया जाना चाहिए। बेशक, उक्त धारणा भी खंडन के अधीन है। धारा 20 अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (आई) और (ii) पर लागू नहीं होती है।

12. तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा संबंधित गवाहों से पूछताछ करके, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया था, पूर्व-जाल और जाल के बाद की कार्यवाही को विधिवत साबित किया गया था। नीचे की दोनों अदालतों ने यह तथ्य दर्ज किया है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी द्वारा दागी मुद्रा की सचेत स्वीकृति और अपीलार्थी से दागी मुद्रा की बरामदगी को भी उचित संदेह से परे साबित कर दिया था। इसलिए, भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित हो गया था कि वह उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वैधानिक धारणा को दूर करे और यह साबित करे कि इसे उसके सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे अपीलार्थी दूर करने में विफल रहा था। अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण दंड प्रक्रिया संहिता धारा 164 के अंतर्गत दर्ज शिकायतकर्ता के बयान से मेल नहीं खाता था। उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया था कि अपीलार्थी द्वारा यह बचाव किया गया था कि उसके द्वारा दागी मुद्रा की स्वीकृति सोसायटी के लेखा परीक्षा शुल्क के खिलाफ थी।

/

[2023] 12 एस सी आर।

उसके द्वारा यह साबित किया गया कि शिकायतकर्ता इमादी लक्ष्मैया द्वारा अपीलार्थी को दी गई राशि सोसाइटी के कोष से बाहर थी, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था।

13. दोनों अदालतों ने सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना की है और अपीलार्थी को पी. सी. अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के अंतर्गत

अपराध के लिए दोषी पाया है। हम नीचे दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए सुविचारित निर्णयों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई वैध आधार नहीं देखते हैं।

14. मामले के उस दृष्टिकोण में, आपराधिक अपील गुणदोष से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान